राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 836/2013/जयपुर
2. अपील संख्या – 837/2013/जयपुर
3. अपील संख्या – 838/2013/जयपुर
4. अपील संख्या – 839/2013/जयपुर
5. अपील संख्या – 840/2013/जयपुर
6. अपील संख्या – 841/2013/जयपुर
7. अपील संख्या – 711/2015/जयपुर
8. अपील संख्या – 712/2015/जयपुर
9. अपील संख्या – 713/2015/जयपुर
10. अपील संख्या –714/2015/जयपुर

तालुका फिटिंग्स हाऊस
31, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय, जयपुर .....प्रत्यर्थी

11. अपील संख्या –1901/2013/जयपुर
12. अपील संख्या –1902/2013/जयपुर
13. अपील संख्या –1903/2013/जयपुर
14. अपील संख्या –1904/2013/जयपुर

श्री तालुका फिटिंग्स
हाल गूजर की थडी के पास, गोपालपुरा बाईपास जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय, जयपुर ....प्रत्यर्थी

15. अपील संख्या – 715/2015/जयपुर
16. अपील संख्या – 716/2015/जयपुर
17. अपील संख्या – 717/2015/जयपुर

मै. श्री तालुका फिटिंग्स हाऊस
30 ए, करौली बाग, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जयपुर .....प्रत्यर्थी

18. अपील संख्या – 657/2014/जयपुर
19. अपील संख्या – 658/2014/जयपुर
20. अपील संख्या – 659/2014/जयपुर
21. अपील संख्या – 660/2014/जयपुर

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

श्री तालुका फिटिंग्स
हाल गुर्जर की थडी के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित
श्री पंकज घीया
अभिभाषक ....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी विभाग की ओर से निर्णय

लगातार.....2

निर्णय दिनांक 08.09.2017

निर्णय

1. उपरोक्त इक्कीस अपीलों में से संख्या एक से सत्रह तक अपीलें व्यवहारी द्वारा एवं संख्या अठ्ठाहर से इक्कीस तक अपीलें प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम व द्वितीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 228 से 233/अपील्स/।।/आरवीएटी/जयपुर/2012–13, अपील संख्या 253 से 256/अपील्स/।/आरवीएटी/जयपुर/2012–13, अपील संख्या 124 से 127/अपील्स/।/ आरवीएटी/जयपुर/2014–15 तथा अपील संख्या 441 से 443/अपील्स/।/आरवीएटी/जयपुर/2013–14 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.03.2013, 12.09.2013, 09.04.2015 एवं 02.03.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय एवं प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों वर्ष क्रमशः 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 26, 61 एवं 55 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.09.2012, 22.11.2013 एवं 12.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में से अपील संख्या 836 से 839/2013 को आंशिक रूप से स्वीकार करारोपण के बिन्दु पर प्रतिप्रेषित किया है तथा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है एवं शेष अपीलों में भी अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त कर अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर एवं ब्याज के बिन्दुओं को अपीलों में विवादित किया है। जिन अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया था, उन अपीलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पालना कर दिये जाने के पश्चात कर एवं ब्याज आरोपित किया है, उनसे क्षुब्ध होकर अपील सं 711 से 715 तक व्यवहारी की ओर से अपीलें प्रस्तुत की गई हैं तथा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किये जाने के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील संख्या 657 से 660 प्रस्तुत की गई हैं। शेष अपीलें व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज को यथावत रखने के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. इन सभीं अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से उपरोक्त सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, प्रतिकरापवंचन जयपुर जोन–प्रथम द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 26.4.2011 को सर्वेक्षण किया जाने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा 'Hydraulic door closer, Key board, buffer & gas pump' की बिक्री 4/5 % की दर से वैट वसूल करते हुए की जा रही है। कर निर्धारण अधिकारी ने विवादित माल को डोर फिटिंग के लिये आवश्यक

लगातार.....3

अंग नहीं होने से वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 92 से कवर्ड नहीं माना एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त वेट अधिनियम की धारा 25 के तहत पृथक–पृथक आदेश पारित करते हुए 8.5 एवं/9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, धारा 61 के तहत अन्तर कर की दुगुनी शास्ति एवं कर अदेय रहने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण निम्नानुसार किया गया :–

अपील संख्या	अवधि	कर	ब्याज	शास्ति	योग
836/13	2006–07	97,191	68,033	194381	3,59,608
837/13	2007–08	192877	111869	385754	690500
838/13	2008–09	136504	62792	273008	472304
839/13	2009–10	69755	23717	139510	232892
840/13	2010–11	117382	25824	234764	377970
841/13	2011–12	7462	672	14924	23058
1901/13	2008–09	30233	13907	60466	104606
1902/13	2009–10	23202	7989	46404	77495
1903/13	2010–11	269713	59337	539426	868476
1904/13	2011–12	472539	42528	945078	1460145
711/15	06–07	91791	77104	–	168895
712/15	07–08	182161	131156	–	313317
713/15	08–09	128921	77352	–	206273
714/15	09–10	69293	33261	–	102,554
715/15	2011–12	69853	20956	139706	230515
716/15	2012–13	282571	50863	565142	898756
717/15	2013–14	190149	11409	380298	581856

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपीलें अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेशों से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि की गई एवं धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया तथा अपील संख्या 836 से 839/13 में कर दर में अंतर के संबंध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। अपीलों अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं तथा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किये जाने के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग की ओर से क्रमांक 18 से 21 पर अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश, जिसमें कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है, विधि व रेकॉर्ड के तथ्यों के विपरीत पारित किये गये हैं। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने 'Hydraulic door closer, Key board, buffer & gas pump' को वेट अधिनियम की अनुसूची–V के तहत 12.5/14 प्रतिशत से कर योग्य माना है, जबकि वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्टि संख्या 92 अनुसार यह 'Fitting for doors & accessories' होने के कारण 4/5 प्रतिशत से कर योग्य है। अग्रिम कथन किया कि जब वेट अनुसूची में 'Fittings for door' अंकित है तथा विवादित वस्तु इसी श्रेणी में आती है तो इसे अवशिष्ट प्रविष्टि में शुमार नहीं किया जा सकता। उन्होंने

लगातार.....4

अग्रिम कथन किया कि वस्तु का उचित श्रेणीकरण करना राजस्व का दायित्व है। प्रकरण में राजस्व 'Hydraulic door closer, Key board, buffer & gas pump' को अवशिष्ट प्रविष्टि में लाने में असमर्थ रहा है। इसलिए इस पर वेट अधिनियम की अनुसूची—IV की प्रविष्ठि संख्या 92 के तहत 4/5 प्रतिशत से करदेय है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने जोरदार शब्दों में कथन किया कि कराधान प्रकरणों में किसी वस्तु के श्रेणीकरण के लिये जनसामान्य की बोलचाल भाषा (Common Parlance) को आधार बनाया जाना चाहिये। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमर्जी से संदर्भ से अलग जाकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय **79 एस.टी.सी. 372** का सहारा लेकर अतिरिक्त कर आरोपित किया है, जबकि ऐसा श्रेणीकरण गलत है। अग्रिम कथन किया कि न्यायिक निर्णयों में वर्तमान स्थिति में नये अन्वेषणों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। अग्रिम कथन किया कि 'Hydraulic door closer, Key board, buffer & gas pump' एक आधुनिक तकनीक है, जो कि अधिनियम की अनुसूची—IV की प्रविष्ठि संख्या 92 के तहत शुमार हो सकती है। अग्रिम कथन किया कि यद्यपि Hydraulic Door Closer 16 पुर्जों से मिलकर बनता है, लेकिन यह 'Hydraulic door closer, Key board, buffer & gas pump' ही है, जो कि अनुसूची—IV की प्रविष्ठि 92 अनुसार Fittings for Door, Window & Furniture तथा भाग—6 के तहत यह Combination of Spring and stopper Suspended & hold fast की प्रकृति का होने के कारण इसी में शुमार होकर 4/5 प्रतिशत कर योग्य है। उक्त आधारों पर कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय आदेशों को अपास्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया। तर्क के समर्थन में इन्होंने (1993) 90 एस.टी.सी. 20 (गुजरात) एम के इण्डस्ट्रीज बनाम गुजरात राज्य, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम मारलको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड निर्णय दिनांक 22.07.2016, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक आयुक्त यू.पी. बनाम में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2000, 2015 (325) ईएलटी 471 (एस.सी.) व माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की अनुसूची—IV की प्रविष्ठि संख्या 92 अपने आप में स्पष्ट है, जिसमें Door Fittings में Hydraulic Door Closer को विधायिका ने सकारण शामिल नहीं किया है। प्रविष्ठि के भाग 6 में Sliding Door Fittings, Stoppers, Suspenders, Spring Magic Eye, Trolley wheel, Pulleye and hold fast ही वर्णित हैं तथा इनमें Hydraulic door closer शामिल नहीं हैं। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने (1990) 79 एस.टी.सी. 372 स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम संजीव मेहरा एण्ड अदर्स ने इसे Fittings for door का अभिन्न अंग नहीं माना है, बल्कि Mechanical device माना है। इस आधार पर विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया तथा वेट अधिनियम की अनुसूची से सम्बन्धित प्रविष्टियों का अवलोकन किया गया। वेट अधिनियम की अनुसूची—IV की प्रविष्टि संख्या 92 की सम्बन्धित भाग को उद्धरित करना समीचीन होगा :—

लगातार.....5

92. Nuts, bolts, screws, fasteners, Fitting for doors, window and furniture including
(1) hinges-butt, piano, narrow, tee, handles for locks, furniture handles, furniture knobs, drawer channel, furniture fitting, furniture hinges, furniture catchers,
(2) nails, revets, cotter pins, staples, panel pins, blue cut taks, hob nails, stars, studs, iron heels, bullock and horse shoes and nails,
(3) chains of all kinds,
(4) all kinds of metal sections, including slotted angles, shelves and **accessories,**
(5) rods, rails, channels and curtain fittings,
(6) tower bolts, handles, aldrops, window stay, gate hook, door stopper, brackets, card clamp, clips, corners, washers, eyelets, hooks and eyes, hangers, hasps, pegs, pelmet fittings, sliding door fittings, stoppers, suspenders, springs, magic eyes, trolley wheels, pulleys and holdfasts,
(7) wire brushes,
(8) wire mesh, metal mesh, wire netting and barbed wire.

उक्त प्रविष्टि में Door Fittings के कई भाग शामिल किये गये हैं, लेकिन इनमें Hydraulic Door Closer शामिल नहीं है। Fittings for doors में Stoppers, Suspender, Springs, Magic Eye, Trolley wheels, Pulleys & Holdfasts शामिल किये गये हैं। विधायिका ने स्पष्ट मंशा से उक्त वर्णित को Door Fittings में शामिल किया है, जिनमें Hydraulic Door Closer शामिल नहीं है। Hydraludic door Closer एक Mechanical Device है, जिसमें Door / Window धीरे–धीरे बंद होते हैं, लेकिन Door Fittings में ये शामिल नहीं होने के कारण यह अनुसूची–v अनुसार कर योग्य हैं। जनसामान्य की भाषा में Hydraulic Door Closer एक Mechanical Deive है, Door Fittings का भाग नहीं है। इस तथ्य को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय 79 एस.टी.सी. 372 से समर्थन मिलता है। न्यायिक दृष्टान्त (1993) 90 एस.टी.सी. 20 (गुजरात) एम. के. इण्डस्ट्रीज बनाम गुजरात राज्य में Domestic Electric Applicances including fluorescent tubes including chokes, tarters, fixtures and fittings and accessories में Strips (Pattis) for fixing electrical tubes on wall को शामिल माना है, जो कि तार्किक वर्गीकरण है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होता। न्यायिक दृष्टान्त स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम मारलको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड निर्णय दिनांक 22.07.2016, में यह ठहराया गया है कि वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में सिद्ध करने का भार राजस्व का है। विचाराधीन अपीलों में कर निर्धारण अधिकारी ने Door Closer को वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 92 में नहीं होने के कारण इसे अनुसूची–v में शामिल किया है जिससे व्यवसाई को इस न्यायिक दृष्टान्त से कोई सहायता नहीं मिलती क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने विधिक प्रावधान के अनुसार वस्तु का वर्गीकरण किया है। न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक आयुक्त यू.पी. बनाम में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2000, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि खराब हुए गेंहू को "Cattle fodder" की श्रेणी में माना जाना चाहिए। इस न्यायिक दृष्टान्त में पक्षकार ने भारतीय खाद्य निगम से खराब हुआ गेंहू जो कि मानवीय उपयोग के लिए unfit हो गया था, को इस शर्त पर खरीदा गया था कि इसका उपयोग "Cattle fodder" के रूप में ही किया जायेगा।

लगातार.....6

विचाराधीन अपीलों में "Door closer" के वर्गीकरण का बिन्दु है तथा संदर्भ, परिस्थितियां व विधिक स्थिति न्यायिक दृष्टान्त से भिन्न है। न्यायिक दृष्टान्त 2015 (325) ईएलटी 471 (एस.सी.) में Door handles and hinges for automobiles के वर्गीकरण का विवाद था कि इन्हें Parts and Accessories of the motor vehicles की श्रेणी में माना जाये या Furniture fittings की श्रेणी में माना जाये जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि motor vehicles की स्पष्ट श्रेणी है, इसलिए इसे इस श्रेणी में माना जाये। इस प्रकार इस न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य एवं विधिक स्थिति विचाराधीन अपीलों से भिन्न है। न्यायिक दृष्टान्त माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में Monitors की श्रेणी में LCD/LED/TFT Monitors को भी माना है जो कि दिल्ली वैट एक्ट के अन्तर्गत विवादित था। वस्तु व विधिक स्थिति भिन्न होने के कारण इस न्यायिक दृष्टान्त से भी व्यवसाई को कोई सहायता नहीं मिलती। प्रस्तुत प्रकरण में वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 92 में किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है, जिसमें Door Closer शामिल नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने इसे अनुसूची–V में शामिल किया है। इस प्रकार उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त अपीलार्थी के प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट रूप से विभेदकारी होने के कारण इसे सहायता नहीं करते। उक्त विवेचनानुसार 'Hydraulic door closer, Key board, buffer & gas pump' वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 92 के तहत Fittings for Doors, Windows में शामिल नहीं होने के कारण अनुसूची–V के अनुसार 12.5/14 प्रतिशत से कर योग्य है।

7. विचाराधीन प्रकरणों में विवादित बिन्दु के समान बिन्दु पर इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 664 से 667/2012 मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2013 के अनुसार यह अवधारित किया जा चुका है कि Hydraulic Door closer को Door fittings की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

8. इसी प्रकार Key Board Tray व Buffer & Gas Pumps को अनुसूची–IV की प्रविष्टी संख्या 92 में Door fittings या Furniture की श्रेणी में नहीं माना जा सकता क्योंकि इनके सम्बन्ध में Specific Entry नहीं होने की स्थिति में इन्हें अनुसूची V के अन्तर्गत माना जाकर तद्नुसार कर आरोपित किया जाना विधिसम्मत है।

9. व्यवहारी द्वारा अपीलों में यह भी आधार लिया गया है कि अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत सर्वे 25.11.2011 को किया गया है तथा निर्धारित छः माह की अवधि में आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिसम्मत नहीं है।

अधिनियम की धारा 25 के अनुसार Case make out की तिथि से छः माह की अवधि में कर निर्धारण किया जाना आवश्यक है परन्तु Case make out का तात्पर्य धारा 25(1) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की तिथि से है। विचाराधीन प्रकरणों में कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.09.2012 के सम्बन्ध में धारा 25 का नोटिस दिनांक 18.04.2012 को जारी किये गये है

लगातार.....7

जिससे कर निर्धारण आदेश पारित करने की अवधि छः माह की अवधि की सीमा में है। इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में भी धारा 25 के नोटिस जारी करने के छः माह की अवधि में कर निर्धारण आदेश पारित किये गये है जिससे व्यवहारी द्वारा अपील में लिया गया यह आधार भी स्वीकार योग्य नहीं हैं।

10. जहां तक विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों में शास्ति को अपास्त करने को चुनौती देने का बिन्दु है, इस खण्डपीठ का विनम्र मत है कि अपीलीय अधिकारी ने समस्त सव्यवहारों का जमा कर लेखा पुस्तकों में होने व बिक्री विवरण प्रपत्रों घोषित होने तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मै. श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू एवं अन्य (2009) 23 वीएसटी 249 में पारित निर्णय के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को विधिवत रूप से अपास्त किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

11. व्यवहारी द्वारा अपील सं 711 से 714 अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील सं.0 124 से 127 में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.04.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है जिसमें अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखा है तथा अपीलें अस्वीकार की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10 हेतु अपीलीय अधिकारी के अपीलीय आदेश दिनांक 28.03.2013 में दिये गये रिमाण्ड निर्देशों के प्रकरण में आदेश दिनांक 22.11.2013 पारित किये गये है। रिमाण्ड निर्देशों में यह कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(84)एफडी/टेक्स/2009–14 दिनांक 08.07.2009 के अनुसार अनुसूची पंचम में कर दर 12.5 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की गयी है जिससे दिनांक 07.07.2009 तक वेट अधिनियम की अनुसूची पंचम की कर दर 12.5 प्रतिशत थी जिसके अनुसार कर व ब्याज का पुनः निर्धारण करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। इस प्रकार यह अपीलें भी अस्वीकार योग्य हैं।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाकर व्यवहारी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

13. निर्णय सुनाया गया ।

(नत्थूराम)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष